3/यो0-स0क0-27/2022/..... 89

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2026-27)

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 12.11.2026

विषयः- **वितीय वर्ष 2026-27 में राज्य में संचालित ऑगनबाडी केन्द्रों पर कार्यरत सेविका/सहायिका के माह सितम्बर, 2026 से नवम्बर, 2026 तक के राज्य भत्ता मानदेय भुगतान, ऑगनबाडी केन्द्रों पर गैस सिलेन्डर रिफिलिंग तथा स्थापना एवं विभिन्न मदों में लंबित अभिश्रवों के भुगतान/समायोजन के लिए राज्य स्कीम के तहत विभिन्न मदों में बिहार आकस्मिकता निधि (8000) से प्राप्त कुल राशि रू० 244.3258 करोड (दो सौ चौवालीस करोड बत्तीस लाख अंठावन हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति ।**

आदेश : **स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1062 दिनांक 07.03.23 से सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है तथा ज्ञापांक-5724 दिनांक 27.11.17 द्वारा राज्य में बच्चों, किशोरियों, महिलाओं, धातृ महिलाओं में कुपोषणता को दूर करने हेतु विभिन्न अवयवों के लिए समेकित बाल विकास छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वितीय वर्ष 2026-27 में राज्य में संचालित ऑगनबाडी केन्द्रों पर कार्यरत सेविका/सहायिका के माह सितम्बर, 2026 से नवम्बर, 2026 तक के राज्य भत्ता मानदेय भुगतान, ऑगनबाडी केन्द्रों पर गैस सिलेन्डर रिफिलिंग तथा स्थापना एवं विभिन्न मदों में लंबित अभिश्रवों के भुगतान/समायोजन के लिए राज्य स्कीम के तहत विभिन्न मदों में बिहार आकस्मिकता निधि (8000) से प्राप्त कुल राशि रू० 244.3258 करोड (दो सौ चौवालीस करोड बत्तीस लाख अंठावन हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	केन्द्रांश/ राज्यांश का अनुपात	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1.	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) - स्थापना	00:100	(51-2235021020123)	02.01	69528.36	21340.80
				13.01	124.80	2.67
				13.03	0.00	25.24
				13.10	13.50	7.42
				14.01	71.78	124.26
				16.01	1.67	390.35
				21.01	4409.57	2422.00
				28.04	103.34	114.84
				52.01	0.00	5.00
कुल राशि रू० (दो सौ चौवालीस करोड बत्तीस लाख अंठावन हजार)						24432.58

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं प्रखंड/परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश से राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 12888/वि0 दिनांक-03.12.2024, पत्रांक 410 दिनांक 12.06.2025 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि0 दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0-स0क0-27/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या 42/टि0 पर दिनांक- 12.11.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-स0क0-27/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या 43 /टि0 पर दिनांक- 12.11.2026 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0-स0क0-27/2022/- 89 पटनाए दिनांक- 12.11.2026

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिवए वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारीए समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0-स0क0-27/2022/ - 89 पटनाए दिनांक- 12.11.2026

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0-स0क0-27/2022/- 89 पटनाए दिनांक- 12.11.2026

प्रतिलिपि - विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव